परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक: 06.08.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 06.08.2016, दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुधीर अवस्थी, संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 मुकेश रंगा, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
5.	प्रो0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 संदीप सिंह, उपाचार्य, सतत् प्रौढ़ शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं में योजित उड़नदस्तों की आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर विचार :–

अनुचित साधन प्रयोग समिति के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा सत्र 2015–16 में योजित विश्वविद्यालय के उड़नदस्तों की आख्या के आधार पर जिन महाविद्यालयों पर सामूहिक नकल/अभद्रता का आरोप निर्धारित किया गया है, से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है :–

"In the current session -2016 Examination for both Regular & Private candidates was conducted simultaneously. The cases of unfair means submitted to U.F.M section can be broadly categorised in to following groups:

1. Answerbooks of candidates involved in using unfair means during the conduct of examination submitted by the Senior Superintendant of Examination from different centres.
2. Answerbooks of Candidates with or without U.F.M. materials submitted by the Convener of flying squads during their visits to different centres.
3. Answerbooks of Candidates submitted by Examiners during Central Evaluation along with the report of mass copying.
4. Cases of damaged/altered/pre-written A/Bs of candidates reported by Convener Coding centre.
5. Cases reported by the Convener of flying squads under the following charges:
   (a) Misbehaviour/violence/non-cooperation with the team of flying squad.
   (b) Indulgence of management in the act of providing outside help to examinee in connivance with the students
   (c) Mass copying by Candidates through dictation, written texts on black board, by distribution of unfair means materials, key of answer sheet for objective papers on OMR sheets and use of mobile and other electronic devices.

The Committee proceeded to examine all cases separately according to the directions mentioned in CSJM University norms and the recommendations of Examination Committee. In all cases of the U.F.M, the committee issued letters to

Convener Coding Cell to detain the results of these candidates..
....
....

The members of committee propose any of the following actions:

1. Cancellation of examination centres for 1-2 years for those cases where voilence/ misbehaviour with F.S. has been reported.
2. Cancellation of Examination centre for cases where Mass Copying has been established in Exam. of 2015 and 2016.
3. Cancellation of examination centre for cases where Mass Copying has been established in 2016 by two or more than two F.S.
4. A deduction in marks in the subject/paper charged for Mass Copying from 25-35% in cases where Mass Copying is established as under:

(i) 25% - Centres charged by one F.S.
(ii) 30% - Centres charged by two or more than two F.S.
(iii) 35% - Centres charged in 2015 and 2016

U.F.M Committee acknowledges with thanks the support and assistance given by Hon'ble V C, Convener flying squad, Convener coding cell, the Controller of Exam Dy. Registrar of U.F.M."

जिन महाविद्यालयों पर सामूहिक नकल/अभद्रता कराये जाने की पुष्टि हुई है, उन महाविद्यालयों के सापेक्ष यू0एफ0एम0 समिति ने निम्नलिखित कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की है :-

1. बिन्दु-01 की श्रेणी में आने वाले 09 महाविद्यालयों (1. सन्त रामलखन डिग्री कालेज, बरौत, इलाहाबाद, 2. एम0पी0 गर्ग डिग्री कालेज, चकददनपुर, झलवा, इलाहाबाद, 3. रामकली बाबूराम स्मारक महाविद्यालय, कुदरकोट, औरैया, 4. पंडित बच्चीलाल द्विवेदी महाविद्यालय, भगौतीपुर, औरैया, 5. बाबूराम मोहनलाल महाविद्यालय, बिधूना, औरैया, 6. चौ. शिवकुमार सिंह स्मारक महाविद्यालय, धाता, फतेहपुर, 7. ऋतुराज महाविद्यालय, जोनिहा रोह, फतेहपुर, 8. आर.आर. महाविद्यालय, पौथेपुरवा, हरदोई, 9. दयानन्द दनकू परागा ज्ञान उदय महाविद्यालय, घाटमपुर, कानपुर) द्वारा उड़नदस्ते से अभद्रता करने के आरोप है, ऐसे महाविद्यालयों को अगले 02 वर्षो तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
2. बिन्दु-02 व 03 की श्रेणी में आने वाले ऐसे महाविद्यालयों जो सामूहिक नकल मे दोनों सत्रों 2014-15 एवं 2015-16 में आरोपित हुए है, उनके परीक्षा केन्द्र परिवर्तित करने का प्रयास किया जाय।
3. ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2015-16 की परीक्षा में उड़नदस्ते द्वारा या आन्तरिक परीक्षकों द्वारा पहली बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 25% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

सत्र 2015-16 की परीक्षा में ऐसे महाविद्यालय जिनको उड़नदस्ते द्वारा 02 या 02 से अधिक बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है तथा ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में उड़नदस्ते द्वारा सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 30% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता देने की कार्यवाही सम्बद्धता समिति के निर्णयाधीन किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से लिया।

उक्त प्रकार के सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों को सामूहिक नकल में आरोपित न होने/होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में श्रेणीवार युक्तियुक्त निर्णय लेने हेतु परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

साथ ही परीक्षा समिति ने यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर 05 महाविद्यालयों (1. ऋतुराज महाविद्यालय, जोनिहा रोड, फतेहपुर, 2. चौ. गजराज सिंह महाविद्यालय, राथौरा, तेजपुर, फर्रुखाबाद, 3. मयंक शेखर महाविद्यालय, कोरवां, कानपुर देहात, 4. डॉ. गोविन्द प्रसाद रानीदेवी पटेल महाविद्यालय, अरौल, कानपुर, 5. श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव) को सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

4. व्यक्तिगत (Personal) श्रेणी में नकल में आरोपित छात्रों के प्रकरण नियमानुसार निस्तारित किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (यू.एफ.एम./परीक्षा)

(ख) सत्र 2015–16 की संस्थागत, व्यक्तिगत, सेमेस्टर परीक्षाओं एवं मेडिकल परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने, सत्र 2014–15 की बी0पी0एड0 संस्थागत एवं सत्र 2015–16 की बी0पी0एड0/एम0पी0एड0 विषम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 जून, 2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न कराये जाने एवं प्रायोगिकी सम्पन्न कराये जाने के कार्यक्रम, से परीक्षा समिति संसूचित हुई। सत्र 2014–15 के बी0एड0 पाठ्यक्रम के भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा, 2015–16 की बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों की संस्थागत परीक्षा तथा एलएल0बी0 पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर परीक्षाएं माह सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। समिति सत्र 2015–16 की छूटी हुई प्रायोगिकी/मौखिकी माह अगस्त, 2016 में सम्पन्न कराने के कार्यक्रम से सहमत हुई।

(ग) सत्र 2014–15 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा से सम्बन्धित नोडल केन्द्रो के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल न मिलने के कारण सम्बन्धित छात्रों की परीक्षा एवं कतिपय महाविद्यालयों की निरस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा कराये जाने पर विचार :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि कतिपय महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल विश्वविद्यालय के कोडिंग प्रकोष्ठ में उपलब्ध न हो पाने के कारण उनके परीक्षा परिणाम अपूर्ण है।

परीक्षा समिति ने व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि जिन प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल विश्वविद्यालय में गहन खोज के बाद भी न उपलब्ध हुए हो, उनसे सम्बन्धित अभ्यर्थियों की परीक्षाएं गतवर्ष की भाँति सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा की बैकपेपर परीक्षा के साथ निःशुल्क सम्पन्न कराकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। साथ ही सत्र 2015–16 की परीक्षा में एम0पी0 गर्ग डिग्री कालेज, चकददनपुर, झलवा, इलाहाबाद की दिनांक 17.03.2016 की निरस्त परीक्षाएं, चौ0 शिव कुमार सिंह महाविद्यालय, धाता, फतेहपुर की दिनांक 30.03.2016 की निरस्त परीक्षाएं एवं खालसा डिग्री कालेज, हरजेन्दर नगर, कानपुर की दिनांक 04.04.2016 की निरस्त परीक्षाएं भी सत्र 2015–16 की बैकपेपर परीक्षा के साथ सम्पन्न करायी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

(घ) नारायणा कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट, पनकी, कानपुर, चन्द्रभान सिंह मेमोरियाल महाविद्यालय, झींझक, कानपुर देहात एवं स्मृति महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के प्रकरण पर विचार :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि नारायणा कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट, पनकी, कानपुर के बी0बी0ए0/बी0सी0ए0, चन्द्रभान सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, झींझक, कानपुर देहात के बी0एससी0–कृषि एवं स्मृति महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के बी0एससी0 (कृषि) पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सेमेस्टर परीक्षाएं विलम्ब से करायी गई थी। नारायणा कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट, पनकी, कानपुर ने बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 के तृतीय सेमेस्टर, चन्द्रभान सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, झीझंक, कानपुर देहात एवं स्मृति महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी ने बी0एससी0–कृषि. के पंचम सेमेस्टर की परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गतवर्ष की भांति उक्त महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षा दो गुनी परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए माह सितम्बर, 2016 के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जाय तथा नारायणा कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट, पनकी, कानपुर तथा चन्द्रभान सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, झीझंक, कानपुर देहात की परीक्षा विश्वविद्यालय कैम्पस में एवं स्मृति महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी की परीक्षा राजकीय महाविद्यालय, पलियाकलां, लखीमपुर खीरी में सम्पन्न करायी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

6/8/16

(प्रो० जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक